कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष—भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल क्रमांक / एफ—3 / 101 / 2021 / 10—11 / 12 23 812 भोपाल, दिनांका 4 11 22 प्रति.

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली—110003

विषय:-जिला सागर के अन्तर्गत आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 181.39 हेक्टेयर (आनलाईन रकबा 182.16 हे0) वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्। संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-20/2022-FC दिनांक 15.09.2022

--00--

विषयांकित प्रकरण मे भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से चाही गई जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त की जाकर निम्नानुसार संलग्न प्रस्तुत है :—

	2 0	
क्रं.	चाही गई जानकारी	उत्तर
i	The State Govt. has not specified whether the dam to be constructed will be an earthen dam or otherwise.	इस संबंध में आवेदक विभाग ने अवगत कराया है, कि परियोजना का मुख्य बांध का निर्माण गधेरी नदी पर बनाया जायेगा। यह एक कम्पोजिट बांध है, जिसमें कंक्रीट भाग की लम्बाई 115 मी. एवं मिट्टी भाग की लम्बाई 413 मी. है। इसके अतिरिक्त एक सैडल बांध का निर्माण एक अन्य स्थानीय नाले पर किया जाएगा, जो पूर्णतः मिट्टी बांध होगा। जिसकी लम्बाई 1395 मी. प्रस्तावित है लेआउट प्लान की प्रति संलग्न है।
ii	The Satellite imagery shows the presence of agricultural land and plantation carried out recently (as per satellite imagery date 01.05.2021) within the proposed forest land for diversion. This needs clarification.	वन परिक्षेत्र अधिकारी, गढ़ाकोटा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार परियोजना अंतर्गत वनमण्डल दक्षिण सागर के वन परिक्षेत्र गढ़ाकोटा की 178. 84 हे0 वनभूमि प्रभावित हो रही है। जिसमें से लगभग 34.78 हे0 वनभूमि पर अलग—अलग वर्षों में किए गए वृक्षारोपण के कुल 29187 पौधे प्रभावित होंगे। प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।
iii	The KML file of submergence area i.e. 493.07 ha and the KML file of 8.31 ha proposed for 'Saddle' proposed on the Non-forest land needs submission.	आवेदक विभाग द्वारा परियोजना अंतर्गत आने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (वनभूमि एवं गैर वनभूमि) की KML फाईल तैयार की जाकर आनलाईन भाग—I के बिन्दु क्रमांक—C(ii)(a) के टेबल के बिन्दु 12 में 0 हेक्टे. के रूप मे अपलोड की गई है। जिसमें सैडल डैम को नीले रंग से, वनभूमि को हरे रंग से एवं गैर वनभूमि को गुलाबी रंग से दर्शाया गया है।

iv	The KML file of area identified for carrying out plantation work on the degraded forest land shall be submitted.	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सागर द्वारा वृक्षारोपण हेतु चयनित बिगड़े वनक्षेत्र के स्थलों की KML file फाईल को आनलाईन भाग—II के बिन्दु क्रमांक—13 के टेबल के बिन्दु 3, 4, 5 एवं 6 में
V	The site suitability certificates have not been submitted in case of CA areas. The State shall ensure that the proposed NFL for CA is in conformity to the Ministry's guideline dated 13.07.2022 and submit the site suitability certificates accordingly.	अपलोड की गई है। इस संबंध में उप वनमण्डलाधिकारी, देवरी का वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
vi	The copy of CAT plan as submitted does not show that the same is approved by the Principal CCF & HoFF or any other officer authorized by him for the purpose as prescribed under the Chapter-9 at para 9.2 (vi) of Comprehensive guideline Handbook, 2019. The same needs submission.	आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत CAT plan की तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय द्वारा जारी की गई है। तकनीकी स्वीकृति की प्रति संलग्न है।
vii	The State Govt. shall examine the site specificity of the proposal and submit detailed report along with justification as to why the project cannot be executed in non-forest area.	इस संबंध में लेख है, कि परियोजना वन क्षेत्र में लगाने संबंधी देखे गए अन्य स्थलों का तुलनात्मक विवरण पत्रक एवं प्रस्तावित स्थल के औचित्य संबंधी विस्तृत रिपोर्ट संलग्न है।
viii	The Cost-Benefit Analysis has not been submitted as per the prescribed format and guidelines in this regard. Further the rates of NPV hive now been revised by the Ministry vide letter dated 06/01/2022 which are also required to be incorporated in the Cost Benefit Analysis.	आवेदक विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 से जारी नवीन एन.पी.व्ही की दरों के अनुसार Cost-Benefit Analysis के पत्रक तैयार किए जाकर वेबपोर्टल पर आनलाईन भाग—I के बिन्दु क्रमांक—G(i)(a) मे अपलोड किये गये है।
ix	As per DSS analysis, it has been reported that CA patch namely GORAIYA (54.624 ha) includes a Dam like feature based on the visual interpretation of Google earth imagery. The State Govt. shall therefore ensure that the NFL proposed for CA is not within the submergence zone of any other project and the proposed NFL for CA has not been allotted to or is proposed to be included in any other project.	इस संबंध में आवेदक विभाग ने अवगत कराया है, कि परियोजना अंतर्गत क्षितिपूर्ति वनीकरण हेतु हस्तांतरित ग्राम गौरैया की 54.59 हे0 गैर वनभूमि अन्य किसी योजना के डूबक्षेत्र मे प्रभावित नहीं है, एवं न ही पूर्व में किसी अन्य योजना के वृक्षारोपण हेतु वनविभाग को हस्तांतरित की गई है। ग्राम गौरैया की 54.59 हे0 गैर वनभूमि की संशोधित KML फाईल आनलाईन भाग—I के बिन्दु क्रमांक—L(iv) के टेबल के बिन्दु 5 में अपलोड की गई है।

The District Collector, Sagar vide order dated 12/11/2021 has sent the proposal for allotment of 70.430 ha Revenue land at Goraiya in favour of the DFO, South Forest Division, Sagar District against the Apchand Medium Irrigation Project. Out of 70.430 ha area the State Government has proposed that 54.624 ha is to be used for CA in the instant proposal. The status of remaining NFL i.e. 15.806 ha (70.430 - 54.624) needs to be clarified.

इस संबंध में आवेदक विभाग ने अवगत कराया है, कि जिला कलेक्टर, सागर के हस्तांतरण आदेश दिनांक 12.11.2021 से ग्राम गौरैया की 70.43 हे0 गैर वनभूमि परियोजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की गई। चूकि परियोजना में 54.59 हे0 की गैर वनभूमि की आवश्यकता थी, सलिए शेष बची 15.84 हे0 गैर वनभूमि को जल संसाधन विभाग की किसी अन्य परियोजना में इस्तेमाल कर लिया जावेंगा।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्वांतिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें। संलग्न:—उपरोक्तानुसार।


> (सुनील अग्रवाल) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 101 / 2021 / 10–11 / 12 / $\Im 8$ | $\Im 8$ प्रतिलिपिः—

भोपाल, दिनांक 14 /11/22

- 1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
- 2. वनमंडलाधिकारी, सां० वन मण्डल, दक्षिण सागर, मध्यप्रदेश।
- 3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.—1, जिला सागर, मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल



र्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र गढाकोटा, दक्षिण वनमंडल सागर (सा.

E-mail - Rotgarhakota@mp.gov.in

क्रमांक/22/

गढाकोटा, दिनांक

प्रति,

वनमंडल अधिकारी दक्षिण वनमंडल सागर

हारा :-

उपवनमंडल अधिकारी दक्षिण वनमंडल सागर

्रिक्टि विषय :

सागर जिले के आपचन्द परियोजना वन प्रकरण बाबत्।

संदर्भ

वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर का पत्र क्रमांक/मा.चि./2021/3267 दिनांक 25.11.2021

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वन परिक्षेत्र गढ़ाकोटा के अंतर्गत सागर जिले के आपचन्द परियोजना वन प्रकरण में कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर द्वारा वन भूमि की ऑन लाईन प्रस्ताव अनुसार रकवा 182.16 है0 की मांग की गयी है। जिसमें आवेदक विभाग के साथ संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया। विन्दुवार चाही गई जानकारी निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है।

1. सीमांकित वन भूमि का विवरण

		कक्ष क्रमांक	प्रभावित रकवा
क्रमांक	वीट का नाम	RF 832	44.2 हेक्टेयर
1	छपरा	RF 828	0.92 हेक्टेयर
2 .	मारपानी पश्चिम	RF 830	28.18 हेक्टेयर
3	मारपानी पश्चिम	RF 831	22.8 हेक्टेयर
4	मारपानी पश्चिम	PF 858	21.3 हेक्टेयर
5	आपचंद	PF 854	59.6 हेक्टेयर
6	चन्द्रपुरा	PF 853	1.84 हेक्टेयर
7	चन्द्रपुरा	Total	11

प्रस्तावित रकवा 182.16 हे0 में से परिक्षेत्र गढ़ाकोटा के अंतर्गत रकवा 178.84 हेक्टेयर प्रभावित शेष रकवा परिक्षेत्र ढाना के अंतर्गत है।

- 2. सीमांकन में लगे चिन्हों की जी पी एस. रीडिंग :- संलग्न है।
- सीमांकित वन भूमि की स्थल गुणवत्ता एवं घनत्व :- संलग्न है।
- सीमांकित वन भूमि पर खडे वृक्षों का प्रजातिवार एवं गोलाई वर्गवार गणना पत्रक :- संलग्न है।
- सीमांकित वन भूमि को संबंधित वन कक्ष के मानचित्र पर मार्क कर सत्यापित मानचित्र की प्रति :- संलग्न है।
- 6. प्रताव के भाग 1 में दर्शित जी.पी.एस रीडिंग अनुसार मौका सत्यापन किया गया है जिसके मौका पंचनामा भी संलग्न है।
- 7. सीमांकित भूमि के बदले में आवेदक विभाग द्वारा गैर वन भूमि प्रदाय का विवरण इस कार्यालय का अभी तक प्रदाय नहीं किया गया है जिससे वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना तैयार किया जाना संभव नहीं है।

577 NEW LATTER/ DESKTOP

 प्रस्तावित वनभूमि के स्थल के फाटोग्राफ संलग्न है। प्रस्तावित वर्नभूमि में निम्नानुसार स्थलों पर वृक्षारोपण भी प्रभावित हो रहे है जिनकी जानकारी निम्नानुसार है।

मांक	W 1114	कक्ष क्रमांक	वृक्षारोपण का नाम	योजना का नाम	प्रभावित पौधा संख्या		प्रभावित फेंसिंग र.मी. 900 र.मी.	प्रभाविक रकवा 11.4
1	मारपानी पश्चिम	RF 831	मिश्रित वृक्षारोपण	NPV केम्पा	11576	2020-21	700 T	12.2
2	मारपानी पश्चिम	RF 831	आर.डी.एफ	NPV केम्पा	8000	2020-21	मी.	05 ह
3	मार पानी पंश्चिम	RF 831	<u>কর্</u> जीवन	NPV केम्पा ं	जुताई से प्राप्त वीधे एवं रोपण	2018-19	मी.	
					से 159	2018-19	1146 ₹.	6.18
4	चन्द्रपुरा	PF 854	मिश्रित वृक्षारोपण	NPV केम्पा	9452	2020	मी.	

संलग्न - उपरोक्तानुसार

वन परिक्षेत्र अधिकारी गढाकोटा

क्रार्या**लय उप** चल गंडलाशि**कारी**

प्रकारक/ इ. अट्यम/21/225 मणाविकारें) 281-22 मुलाता (११ विदेश) अद्योगका उत्तानिकारें । अगर (पाल प्रतिबंदेश) अद्योगका उत्तानिकारें । अगरें रमस्त्रीतिक (१११८) वार्टी व्हें स्थादी प्रविधिक्ते

पप वर्न केटडरा दान गर इदिए हागर

578 NEW LATTER/ DESKTOP

प्रमाणित किया जाता है कि आपचन्द मध्यम परियोजना ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक -FP/MP/IRRIG/43200/2019 में आवेदित वनभूमि रकवा 182.16 हेक्टेयर के बदले वन परिक्षेत्र-केसली, बीट-लकड़याऊ डुंगरिया, वनखण्ड-पुत्तर्रा-ए, कार्यवृत्त-पुर्नस्थापना (RDF) के वन कक्ष क्रमांक-पी.एफ. 1063 रकवा 30.00 हेक्टेयर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। उक्त क्षेत्र पर पूर्व में एवं वर्तमान तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है। चयनित क्षेत्र वन विभाग के प्रचित्त मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण कार्य हेतु उपयुक्त है।

वन परिहोत्र अधिकारी, केसली

उप वनमण्डल अधिकारी, देवरी

प्रमाणित किया जाता है कि आपचन्द मध्यम परियोजना ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक -FP/MP/IRRIG/43200/2019 में आवेदित वनभूमि रकवा 182.16 हेक्टेयर के बदले वन परिक्षेत्र-केसली, बीट-लकड़याऊ डुंगरिया, वनखण्ड-पुत्तर्रा-बी, कार्यवृत्त-पुर्नस्थापना (RDF) के वन कक्ष क्रमांक-पी.एफ. 1064 रकवा 35.00 हेक्टेयर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। उक्त क्षेत्र पर पूर्व में एवं वर्तमान तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है। चयनित क्षेत्र वन विभाग के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण कार्य हेतु उपयुक्त है।

वन प्रसिन्न अधिकारी, केसली

उप वनमण्डल अधिकारी,

प्रमाणित किया जाता है कि आपचन्द मध्यम परियोजना ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक -FP/MP/IRRIG/43200/2019 में आवेदित वनभूमि रकवा 182.16 हेक्टेयर के बदले वन परिक्षेत्र-ढाना, बीट-जामघाट, वनखण्ड-कड़ता, कार्यवृत्त-पुर्नस्थापना (RDF) के वन कक्ष क्रमांक-पी.एफ. 812 रकवा 25.00 हेक्टेयर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। उक्त क्षेत्र पर पूर्व में एवं वर्तमान तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है। चयनित क्षेत्र वन विभाग के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण कार्य हेतु उपयुक्त है।

वन परिसेत्र अधिकारी, ढाना

उप वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर

प्रमाणित किया जाता है कि आपचन्द मध्यम परियोजना ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक -FP/MP/IRRIG/43200/2019 में आवेदित वनभूमि रकवा 182.16 हेक्टेयर के बदले वन परिक्षेत्र-काना, बीट-सेमरागौड़, वनखण्ड-रानिगर कार्यवृत्त-पुर्नस्थापना (RDF) के वन कक्ष क्रमांक-आर. एफ. 798 रकवा 40.00 हेक्टेयर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। उक्त क्षेत्र पर पूर्व में एवं वर्तमान तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है। चयनित क्षेत्र वन विभाग के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण कार्य हेतु उपयुक्त है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी,

ढाना

उप वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल तकनीकी स्वीकृति आदेश

आदेश क्रं./एफ-3/101/2021/10-11/12/ 4/

भोपाल, दिनांक 11/11/22

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दिनांक 08.03.2019 से प्रभावशील गाईड लाईन के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म०प्र० भोपाल के आदेश क्रमांक / एफ—3 / 2019 / 10—11 / 03, दिनांक 31.05.2019 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक आयोजित की गयी। आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में आवेदक विभाग से प्राप्त केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य के परीक्षण उपरांत तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :—

वनमण्डल	योजना का नाम	उपचार भूमि हेतु	राशि (रूपये
का नाम		रकबा (हेक्टयर में)	लाख मे)
दक्षिण	आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना	66755	142.27
सागर	(181.39 ਵੇਕਟ.)		

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेंगी :--

- 1. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.—1, जिला सागर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के प्रस्तावों पर दी जाती है। यदि प्रस्ताव मे कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएं।
- 2. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सागर इस स्वीकृति के अधीन केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावें। कैम्पा कक्ष द्वारा दिये आवंटन के अनुसार ही कार्य कराया जावें।
- 3. इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।
- 4. कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावें। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- 5. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान अंतर्गत कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही कार्य किया जावें।
- 6. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावें।
- 7. कोई भी सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन करें।
- 8. कार्य प्रांरभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रांरभ करावें।

(सुनील अंग्रवाल) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल पृ. क्रं./एफ-3/101/2021/10-11/12/37-88 प्रतिलिपि:- भोपाल, दिनांक //////22

- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 3. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
- 4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, दक्षिण सागर, मध्यप्रदेश।
- 5. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.—1, जिला सागर, मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

APCHAND MEDIUM IRRIGATION PROJECT

Brief Summary of the Project & Justification for locating Project in Forest land

The Apchand Medium Irrigation Project proposed dam site is located across river Gadheri near village Apchand Tehsil Sagar, District-Sagar of Madhya Pradesh. The site is located on topo sheet no 55 I/13 with latitude 23° 47 '5.88" N and longitude 78°59'46.05" E. The site is situated about 30 km away from Sagar district headquarters.

There is no dependable water source in the Project area. At present irrigation in the project area from all sources is only 08.10 % of net cropped area. Since the area is dependent on rains, scarcity conditions exist all the time. Crop yields are very low. People in the area are poor. The Project area needs water for domestic and agriculture purposes. Studies carried out earlier show that some unutilized flows are available and the physiographic conditions of the site are also suitable for harnessing the water resources.

The local public representatives are well informed with the benefits of the project. Cost and benefit ratio has been calculated and is within the norms justifying the feasibility of this project. Also, provision for upstream and downstream utilization of water has been made in the project. After construction of this dam, 4830 Ha area will be provided with the Rabi irrigation facility. The drought prone land of 19 villages of Garhakota tehsil of Sagar district will be irrigated through pressurized pipe irrigation system. The project will also replenish the groundwater table of the region.

As per department preliminary and detailed survey we have found the proposed site to be the most feasible and suitable for construction of the project with respect to technical, financial & social considerations. The comparative study of alternative alignment survey is tabulated below and the chosen alignment has the least forest submergence and if project is proposed on any other nearby site much more forest area will get submerged.

Apchand Medium Irrigation Project district Sagar alternate alignments comparative description.

Apchand Medium Irrigation Project is proposed on Gadheri river near village Apchand of block Sagar, district Sagar (MP). In the year 2017 this project was taken into consideration, the Administrative Approval has been Sanctioned vide Memo No. 22/(A)/ 349-26/2018/MPS/31/1746 Bhopal, Dated 04/10/2018 Rs. 162.66 Crores by Govt. of M.P. Water Resources Department. The Project will irrigate 4830 ha area in Garhakota block of Sagar district.

The comparative details of alternate alignments study is tabulated below:-

S. NO.	ALTERNATE ALIGNMENT	GROSS CAPACITY (MCM)	TOTAL SUBMERGENCE (Ha)	FOREST SUBMERGENCE (Ha)	REMARKS
1	ALT 1	20.93	560.66	186.59	4 villages partially
2	ALT 2	20.93	581.42	195.75	affected
3	ALT 3	20.93	597.56	182.16	

The third alignment is the most appropriate for the construction of the project with respect to technical, financial & social considerations.

Sub Engineer

(Nishesh Goshwami)
Sub Divisional Officer
Water Resources Sub Division No. 3
Sagar (M.P.)

(Akhil Birthare)

Executive Engineer
Water Resources Division No. 1
Sagar (M.P.)

Divisional Forest Officer

South Dn., SAGAR

Cost Benefit Analysis for

APCHAND MEDIUM IRRIGATION PROJECT

On the basis of Guidelines for forest land diversion 2018

Table-A Cases under which a cost benefit analysis for forest diversion

are required

No.	Nature of proposal	Applicable/not applicable	Remarks
1	All categories of proposals involving forest land up to 20 hectares in plains and up to 5 hectare in hill	Not applicable	
2	Proposal for defense installation purposes and oil prospection (prospecting only)	Not applicable	
3	Habitation, establishment of industrial units, tourist lodges complex and other building construction	Not applicable	
4	All other proposals involving forest land more than 20 hectares in plains and more than 5 hectares in hills including roads, transmission lines, minor, medium and major irrigation project's mining activity railway lines, location specific installations like microwave station, auto repeater centres, TV towers etc.		These are cases where a cost benefit analysis is necessary to determine when diverting the forest land to non-forest use of overall public interest. The Apchand Medium Irrigation Project falls under this category.



Table-B Estimation of cost of forest diversion

No.	Nature of proposal	Remark
1	Ecosystem services losses due to proposed forest diversion	Ecosystem services due to diversion of forest land suggested by the Central Powered Committee as per the forest classification report of proposed Apchand Medium Irrigation Project is Rs. 9.58 Lakh/Ha Cost of Land: = 182.16 x 9.58 = Rs.1745.09 Lakh.
2	Loss of animal husbandry productivity, including cost of fodder.	As per the cost benefit guideline i.e 10% of N.P.V. 0.958 Lakh per Ha. = 182.16 X 0.958 = Rs. 174.51 Lakh
3	Cost of human resettlement	There is no human settlement due to the proposed Apchand Medium Irrigation Project. Hence the cost of human resettlement is NIL.
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, building, schools, dispensaries, electric lines, railways, etc.) on forest land, which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	There is no loss of public facilities and administrative infrastructures of forest land due to construction of Apchand Medium Irrigation Project, no cost has been added on this account.
5	Possession value of forest land diverted.	The possession value of forestland diverted is taken 30% of the N.P.V. due to loss of forest i,e 2.87 Lakh / Ha. = 182.16 x 2.87 = Rs 522.80 Lakh
6	Cost of suffering to oustees	Not applicable
7	Habutal Fragmentation Cost	Forest land is being acquired for construction of dam, submergence & spill channel of Kopra Medium Project. There is no amount is taken under this account.
8	Compensatory afforestation and soil & moisture conservation cost	The cost @ Rs 4.00 Lakh per Ha. is taken compensatory afforestation and soil moisture conservation Hence amount will be: = 182.16 x 4.00 = Rs.728.64 Lakh
9	Total cost due to forest land diversion.	Total cost due to forest land diversion for Kopra Medium Project in lakhs will be: =1745.09+174.51+522.80+728.64 = 3171.04 Lakh

APCHAND MEDIUM IRRIGATION PROJECT

COST BENEFIT ANALYSIS

Total Cost due to forest land

: 3171.04 Lakhs

Total Benefit due to Project

: 4742.25 Lakhs

Benefit Cost Ratio of the Project: 1.495

Sub-Engineer

(Nishesh Goswami) Subdivisional Officer W R Subdivision No. 3

Garhakota

(Akhil Birthare) Executive Engineer WR Division No. 1

Sagar (M.P.)

न्यायालय कलेक्टर सागर,जिला सागर

रा.प्र.कमांक- 0006 अ/20(3) वर्ष 2021-22 मोजा- गरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक 1, सागर		आवेदक
विरुद्ध		
म,प्र.शासन	********	अनावेदव
	॥ आहेषा ॥	

!! आदेश !!

(पारित दिनांक \2_/\)/2021)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन कमांक-1 सागर द्वारा आपचंद मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य मौजा गुरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर स्थित राजस्व भूमि ख.नं. 590 रकबा 37.100 हे. में से 12.300 हे., ख.नं. 593 रकबा 40.000 हे., ख.नं. 594 रकबा 18.130 हे. कुल रकबा 70.430 हे. भूमि वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर को आबंटित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसे जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी सागर को भेजा गया।

अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा प्रकरण नायब तहसीलदार सुरखी को प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। नायब तहसीलदार सुरखी द्वारा प्रकरण क्रमांक ०००१ अ/२०(३) वर्ष 2021-22 पंजीबद्ध किया जाकर हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। हल्का पटवारी के प्रतिवेदन अनुसार आपचंद मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेत् समतुल्य मौजा गुरैया प.ह.नं. १२२ तहसील सागर स्थित राजस्व भूमि ख.नं. 590 रकबा 37.100 हे. में से 12.300 हे., ख.नं. 593 रकबा 40.000 हे., ख.नं. 594 रकबा 18.130 हे. कुल रकबा 70.430 हे. भूमि वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर को आबंटित किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तृत की गई। मौजा गुरैया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 796.73 हे., ग्राम का कुल खाते का क्षेत्रफल 516.36 हे., ग्राम का कुल गैर खाते का क्षेत्रफल 280.37 हे., ग्राम का कुल चरनाई का रकबा 129. 57 हे., ग्राम में चरनोई का 2 प्रतिशत का सुरक्षित रकबा 2.59 हे. से ग्राम 2 प्रतिशत चरनोई का सुरक्षित रकबा रखने के बाद शेष रकबा १२६.९८ हे. है। नायब तहसीलदार सुरखी द्वारा आपचंद मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य मौजा गुरैया प.ह.नं. १२२ तहसील सागर स्थित राजस्व भूमि ख.नं. 590 रकबा 37.100 हे. में से 12.300 हे., ख.नं. 593 रकबा 40.000 हे., ख.नं. 594 रकबा 18.130 हे. कुल रकबा 70.430 हे. भूमि वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर को आबंटित किये जाने हेत् प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेत् अनुविभागीय अधिकारी सागर को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा दिनांक 05.10.2021 को प्रकरण में प्रतिवेदन लिखा जाकर इस न्यायालय को भेजा गया है।

प्रकरण न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रकरण नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत

करने हेतु नजूल अधिकारी सागर को प्रेषित किया गया।

नजूल अधिकारी सागर द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 29.10.2021 में प्रतिवेदित किया गया कि जिला स्तरीय नजूल निर्वतन समिति की बैठक दिनांक 28.10.2021 में सर्व सम्मति से अनुविभागीय अधिकारी सागर/ नायब तहसीलदार सुरखी से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार मौजा गुरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर स्थित राजस्व भूमि ख.नं. 590 रकबा 37.100 हे. में से 12.300 हे., ख.नं. 593 रकबा 40.000 हे., ख.नं. 594 रकबा 18.130 हे. कुल रकबा

P.T.O.

70.430 है. भूमि, भूमि म.प्र.नजूल निर्वर्तन नियम 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार – राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई निर्धारण नहीं होने से वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वन मण्डल सागर के नाम से भूमि आबंटन किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया।

अतः नायब तहसीलदार सुरखी, अनुविभागीय अधिकारी सागर एवं नजूल अधिकारी सागर के प्रस्ताव पर मौजा गुरैया प.ह.नं. 122 तहसील सागर जिला सागर की निम्नानुसार भूमि :-

स. क.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.	ख0नं0	कुल रकवा (हे.में)	आवंटित रकवा (हे.में)	मद
01	गुरैया	122	590	37.100	12.300	शासकीय चारागाह
			593	40.000	40.000	शासकीय चारागाह
	594	594	18.130	18.130	शासकीय चरोखर	
***************************************	***************************************	योग		95.230	70.430	

म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए म.प्र.नजूल निर्वर्तन नियम 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कांडिका 17 के अनुसार – राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई निर्धारण नहीं होने से आपचंद मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य उक्त भूमि वन मण्डल अधिकारी, दिक्षण वनमंडल सागर (म.प्र. शासन वन विभाग) को आबंटित की जाती है।

उक्त भूमि के हस्तांतरण से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। हस्तांतरित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।


> (दीपक आर्च) कलेक्टर जिला-सागर

पृ०क०/। २३))/री०कले०/2021 प्रतिलिपि:—

सागर दिनांक (2////2021

- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक-1 सागर की ओर सूचनार्थ।
- 2. वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वन मण्डल सागर की ओर सूचनार्थ।
- नजूल अधिकारी सागर को सूचनार्थ।
- 4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित आदेशानुसार पटवारी अभिलेख में दुरूस्ती कराये जाने तथा हस्तांतरित भूमि का अधीपत्य दिलाये जाने तथा संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति तथा अधिपत्य दिलाये जाने का पंचनामा सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को वापिस भेजने हेत्।
- अधीक्षक भू-अमिलेख सागर जिला सागर को सूचनार्थ।
- नायब तहसीलदार सुरखी को आदेशानुसार कार्यवाही हेत्।

कलेक्टर



-: LAYOUT PLAN OF MAIN & SADPLE DAM :-

